रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258378
CG-DL-E-30102024-258378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 614] | नई दिल्ली मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024/कार्तिक 7, 1946 |
| No. 614] | NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946 |


## पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2024

**सा.का.नि. 672(अ).—**अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (2) के खंड (जेडएल) और (जेडजेडए) के साथ पठित धारा 98 की उप-धारा(1) के खंड (ई) तथा धारा 51 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा दिनांक 07 जून, 2022 के सा.का.नि सं.426 (ई) के माध्यम से अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (अग्निशमन उपकरण) नियम, 2022 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद द्वारा प्रकाशित करती है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिसको आधिकारिक राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 251, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा ajay.sirohi@nic.in और uttam.mishra27@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

**मसौदा संशोधन**

1. (1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान (अग्निशमन उपकरण) (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अंतर्देशीय जलयान (अग्निशमन उपकरण) नियम, 2022 में नियम 2 के खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"**स्पष्टीकरण.-**इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार माप पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टन भार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1991 के नियम 2 के अनुसार की जाएगी।"

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी(8)]

डॉ. कमला कान्ता नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi the 29th October, 2024

**G.S.R. 672(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 and clause (e) of sub-section(1) of section 98 read with clause (zl) and (zza) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government proposes to amend the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022 notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 426(E) dated the 7th June, 2022 and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 251, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at ajay.sirohi@nic.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

**Draft Amendment**

1. (1) These rules may be called as the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) (First Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Fire Fighting Appliances) Rules, 2022, after clause (d) of rule 2, the following explanation shall be inserted, namely. –

**"Explanation.-**For the purpose of this sub-rule, Gross Tonnage of vessels above 24 meters shall be calculated according to International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 whereas Gross Tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to Rule 2 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1991."

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(8)]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.10.30 21:05:18 +05'30'